राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.10(31)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 31.03.2022

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः—अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत होमगार्ड की संविदा सेवायें बढ़ाने बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्रांकः— G/I/A-4(i)(a)55/2016/347 दिनांक 29.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदो के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य के सुचारू संचालन हेतु 2806 होमगार्ड की संविदा सेवायें दिनांक 31.03.2023 अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, लिये जाने की सहमति इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है कि विभाग रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करेगा।

विभाग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 की पालना करना सुनिश्चित करेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त व्यय—5 विभाग की आई.डी. संख्या 102201956 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

31.3.22

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय—5) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः G/I/A-4(i)(a)/55/2016/364-366 दिनांकः 31.03.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश
2. सहायक लेखाधिकारी (बजट), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

31/3/2022

रजिस्ट्रार (प्रशासन)